कार्यालय उपायुक्त, जिला सिरमौर स्थित नाहन, हिमाचल प्रदेश ।

संख्या–पीसीएन–एसएमआर–(आरक्षण)–2020– 5892–5910 **दिनांकः** 16–12–, **2020**

अधिसूचना

सचिव, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–02 के कार्यालय पत्र संख्या–पीसीएच–एचए (1)10/2010–60780–811 दिनांक 24–09–2020 के अन्तर्गत प्राप्त दिशा निर्देश अनुसार तथा हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा–125 व हि0प्र0 पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम–88 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं डॉ0 आर0 के0 परूथी(भा0प्र0से0) उपायुक्त, जिला सिरमौर स्थित नाहन, हि0प्र0 जिला सिरमौर के **पंचायत समिति के अध्यक्ष पदों के आरक्षण** की अधिसूचना निम्न अनुसार जारी करता हूँ :–

क0 संख्या	पंचायत समिति का नाम	आरक्षण
1	नाहन	अ0पि0व0 महिला
2	पांवटा–साहिब	अ0जा0
3	शिलाई	अ0जा0 महिला
4	संगडाह	अनारक्षित
5	पच्छाद	अनारक्षित
6	राजगढ	महिला

16/12/20

(डॉ0 आर0 के0 परूथी) भा0प्र0से0
उपायुक्त,
जिला सिरमौर, नाहन, हि0प्र0 ।

पृष्ठांकन संख्या–यथोपरि– 589–5910 दिनांकः 16–12– 2020

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, हि0प्र0 शिमला–02 की सेवा में सूचनार्थ ।
2. सचिव (पंचायती राज), हिमाचल प्रदेश सरकार को सूचनार्थ ।
3. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0, शिमला–9 को सूचनार्थ ।
4. समस्त उप–मण्डलाधिकारी(ना0) जिला सिरमौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. जिला पंचायत अधिकारी, नाहन जिला सिरमौर, हि0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू ।
6. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, नाहन जिला सिरमौर को अतिरिक्त प्रतियों सहित समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु ।

7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जिला सिरमौर हि0प्र0 को इस आश्य सहित कि इस अधिसूचना को पंचायत समिति तथा विकास खण्ड की समस्त ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर जन–साधारण की सूचना हेतु चस्पान करवाना सुनिश्चित करें।

8. समस्त पंचायत सचिव, जिला सिरमौर, हि0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

9. प्रति कार्यालय नोटिस बोर्ड।

16/12/20

उपायुक्त,

जिला सिरमौर,नाहन, हि0प्र0।